

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—12/2021 (2021/35) वाद पत्र

अनवान

1. मोहन आत्मज खेमा कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दौला आत्मज खेमा कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. रेवत आत्मज खेमा कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. रितेश सुराणा —

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 26.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रूपाकाखेड़ा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 154 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 155 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 156 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 377 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 378 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 457 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 458 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 459 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 490 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 491 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 492 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 493 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 502 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आचा, आराजी संख्या 503 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 506 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 507 रकबा 0.02 है0 गे.मु.रास्ता, आराजी संख्या 560 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 562 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 679 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 680 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 681 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 794 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 795 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 796 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 901 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 902 रकबा 0.13 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 2.07 है0 भूमि खाता संख्या 112 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस पेश की है। वाद पत्र की कलम नं0 1 में दर्ज कृषि आराजियात वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी के शामिलती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादीगण के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा



लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के हक व हिस्से में नाजायज दखलदांजी करते रहेते है तथा वादीगण की फसल को नुकसान पहुँचाते रहेते है तथा बिना विभाजन कराये ही वादग्रस्त भूमियों को रहन बय बक्षीस करने पर आमदा हो रहे है जिससे बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात में से आराजी संख्या 502 गे.मु.आचा व 505 गे.मु.रास्ता को छोड़कर शेष सभी आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादी संख्या 1 के निहित 1/3 हिस्से व वादी संख्या 2 के निहित 1/3 हिस्से का स्वतंत्र खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खुलवाया जाने की विभाजन की अज्ञप्ति बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे एवं आराजी संख्या 502, 507 को शामिलती रखाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 फौरमल पक्षकार है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2021 को वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाकाखेड़ा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 154 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 155 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 156 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 377 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 378 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 457 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 458 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 459 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 490 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 491 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 492 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 493 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 502 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आचा, आराजी संख्या 503 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 506 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 507 रकबा 0.02 है0 गे.मु.रास्ता, आराजी संख्या 560 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 562 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 679 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 680 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 681 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 794 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 795 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 796 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 901 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 902 रकबा 0.13 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 2.07 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से का आराजी संख्या 502 रकबा 0.02 है0गे. मु.आचा. व आराजी संख्या 507 रकबा 0.02 है0 गे.मु.रास्ते की भूमि को शामिलती हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे अलग राजस्व खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 16.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 109 में प्रस्तावित आराजी संख्या 154/1 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 377/2 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 490 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 506 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 458 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 562/1 रकबा 0.15 है, आराजी संख्या 681 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 901 रकबा 0.13 है, आराजी संख्या 796 रकबा 0.05 है कुल कित्ता 9 कुल रकबा 0.68 है भूमि मोहन पिता खेमा कुमावत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 155 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 154/2 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 378/1 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 492 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 493 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 503 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 457 रकबा 0.08 है, आराजी संख्या 562/2 रकबा 0.15 है, आराजी संख्या 680 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 795 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 902/1 रकबा 0.07 है कुल कित्ता 11 कुल रकबा 0.67 है भूमि दोला पिता खेमा कुमावत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 156 रकबा 0.06 है, आराजी संख्या 377/1 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 378/2 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 491 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 459 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 560 रकबा 0.27 है, आराजी संख्या 679 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 794 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 902/2 रकबा 0.06 है कुल कित्ता 9 कुल रकबा 0.68 है भूमि रेवत पिता खेमा कुमावत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 502 रकबा 0.02 है गै.मु.आचा, आराजी संख्या 507 रकबा 0.02 है रास्ता कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.04 है भूमि सामलात पूर्ववत बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—12/2021 (2021/35) वाद पत्र

अनवान

1. मोहन आत्मज खेमा कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दौला आत्मज खेमा कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम


1. रेवत आत्मज खेमा कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 109 में प्रस्तावित आराजी संख्या 154/1 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 377/2 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 490 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 506 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 458 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 562/1 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 681 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 901 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 796 रकबा 0.05 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 0.68 है0 भूमि मोहन पिता खेमा कुमावत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 155 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 154/2 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 378/1 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 492 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 493 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 503 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 457 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 562/2 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 680 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 795 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 902/1 रकबा 0.07 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 0.67 है0 भूमि दौला पिता खेमा कुमावत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 156 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 377/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 378/2 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 491 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 459 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 560 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 679 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 794 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 902/2 रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 0.68 है0 भूमि रेवत पिता खेमा कुमावत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 502 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 507 रकबा 0.02 है0 रास्ता कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि सामलात पूर्ववत बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।


26/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

